कार्यालय –प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा जिला विदिशा (म.प्र.)

क्रमांक...20.../S.W./ विदिशा, दिनांक 13/04/2024

कार्य विभाजन आदेश

मैं जाकिर हुसैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना कमांक ए/2842, जबलपुर दिनांक 10.04.2024 के माध्यम से श्रीमती सोनल पटेल, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गंजबासौदा को तहसील गंजबासौदा एवं लटेरी थाना क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत होने वाले पॉक्सो अधिनियम 2012, के प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप दंड प्रकिया संहिता की धारा 10(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, पूर्व के कार्य विभाजन आदेश कमांक 03 दिनांक 19.01.2024 के सरल कं. 8 कॉलम नं. 4 की कंडिका 02 एवं 03 में तथा सरल कं. 14 के कॉलम नं. 4 की कंडिका कं. 2 में निम्नानुसार संशोधन समाहित करता हूं, जो **आदेश दिनांक से तत्काल प्रभावशील होगा :–**

आपराधिक				
कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	कार्य विभाजन	रि.
1	2	3	4	5
8-	द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, गंजबासौदा	विदिशा सत्र खण्ड	2– थाना गंजबासौदा सिटी, गुलाबगंज (क्षेत्रवार), गंजबासौदा देहात, जीआरपी चौकी गंजबासौदा, शमशाबाद, त्योंदा, नटेरन, लटेरी, मुरवास, आनंदपुर, उनारसीकलॉ से उद्भूत लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत आने वाले प्रकरण, रिमाण्ड आवेदन, जमानत याचिकाएँ, तथा अन्य सभी प्रकार के आवेदन पत्र व कार्यवाहियॉ। 3– पूर्व में पदस्थ द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम गंजबासौदा तथा अति. सत्र न्यायाधीश लटेरी (केवल पॉक्सो अधिनियम 2012, से संबंधित प्रकरणों में) द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशो से संबंधित कार्यवाहियॉ एवं माननीय उच्च/सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशो पर कार्यवाहियॉ आदि।	
14	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लटेरी	सत्र खण्ड विदिशा	2– थाना लटेरी, मुरवास, आनंदपुर, एवं उनारसीकलॉ के अन्तर्गत पंजीबद्व अपराध एवं उनके क्षेत्राधिकार से उद्भूत सत्र प्रकरण तथा संबंधित जमानत याचिका एवं रिमाण्ड आवेदन पत्र आदि (**लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को छोडकर**)	

शेष पूर्ववत्

sd/-
(जाकिर हुसैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक ..1213../एस.डब्ल्यू/2024 विदिशा, दिनांक 13/04/2024

प्रतिलिपि :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
2. विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी. अधिनियम) विदिशा
3. समस्त जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, विदिशा, गंजबासौदा, सिरोंज, कुरवाई, लटेरी
4. पुलिस अधीक्षक विदिशा की ओर इस अपेक्षा के साथ प्रेषित हैं कि, संबंधित थाना प्रभारी को आदेश की छायाप्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें कि, लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रकरण संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करें।

5. समस्त व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड एवं कनिष्ठ खंड, विदिशा, गंजबासौदा, सिरोंज, कुरवाई, लटेरी
6. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा
7. केन्द्रीय पंजीयन काउंटर, विदिशा, गंजबासौदा, सिरोंज, कुरवाई एवं लटेरी की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. अभिभाषक संघ, विदिशा/गंजबासौदा/सिरोंज/कुरवाई/लटेरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट, विदिशा की ओर समस्त न्यायाधीशगण, न्यायिक कर्मचारीगण, अधिवक्तागण को ई–मेल करने एवं जिला न्यायालय की वेवसाईट पर कार्य विभाजन आदेश की प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा (म.प्र.)